

उपस्थित। ऐसी स्थिति में -याथान्य  
प्रकरण को भाँगे ज़रकार रखना उचित  
नहीं समझता हूँ। अतः पत्रावली अदम -  
हाजरी अदम-पैरवी में खारिज की जाती  
है। जावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर  
से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक

14.3.22 को सारे इजलास सुनाया गया।

*[Handwritten signature]*

*[Faint, mostly illegible handwritten text in red ink, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*